

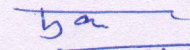
राजस्थान सरकार
कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग

एफ -1 (ईओडीबी) 2019 / पीएस / 00580/536

दिनांक 29/09/2020

आदेश

राज्य में ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एवं कारखानों के लाइसेंस का नवीनीकरण कार्य में सरलता के लिये अब विभागीय आधिकारिक RajFAB वेब एप्लिकेशन पर आवेदन Auto Renewal software के माध्यम से ही online स्वीकार किये जायेंगे जिसमें कोई दस्तावेज नहीं लगाया जावेगा जिससे कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 6 एवं राजस्थान कारखाना नियम, 1951 के नियम 7 के अन्तर्गत कारखानों के लाइसेंस का स्वतः नवीनीकरण transparent, non-discretionary, online and automatic प्रकार से होगा तथा आवेदन मय निर्धारित फीस के उक्त वेब एप्लीकेशन पर ऑनलाईन प्राप्त होते ही पूर्व में संग्रहित डाटा के आधार पर स्वतः ही ऑनलाईन नवीनीकृत लाइसेंस जारी होंगे।


29/9/2020

(मुकेश जैन)

मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स
राजस्थान, जयपुर